भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4570
19 मार्च, 2026 को उत्तर दिये जाने के लिए

अपशिष्ट पाटन स्थलों के लिए वित्तीय सहायता

4570. श्रीमती हेमा मालिनीः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा देश भर में अपशिष्ट पाटन स्थलों में सुधार करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को कोई वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार व्यौरा क्या है;
(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान सरकार द्वारा उक्त प्रयोजनार्थ मथुरा स्थित शहरी स्थानीय निकाय को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या सरकार उक्त कार्य की वास्तविक प्रगति का मूल्यांकन करने और यह सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से समीक्षा करती है कि इस संबंध में किसी भी चुनौती का समयबद्ध तरीके से समाधान किया जाए और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क) और (ख): स्वच्छ भारत मिशन - शहरी (एसबीएम-यू) 2.0 को अक्टूबर 2021 में डोर-टू-डोर संग्रह, पृथक्करण और कचरे के सभी अंशों के 100% वैज्ञानिक प्रसंस्करण, वैज्ञानिक लैंडफिल में सुरक्षित निपटान, ग्रीन जोन में परिवर्तित करके सभी पुराने डंपसाइटों के सुधार के माध्यम से कचरा मुक्त शहर बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है।

एसबीएम-यू 2.0 के तहत, निधियां शहरी स्थानीय निकायों को नहीं, बल्कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (एसएलटीसी) द्वारा विधिवत अनुमोदित उनकी कार्य योजना के आधार पर आवंटित और जारी की जाती हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी कार्य योजना के आधार पर आगे यूएलबी/शहरों को केंद्रीय सहायता हस्तांतरित करते हैं। पुराने अपशिष्ट डंपसाइटों के सुधार के लिए अनुमोदित वित्तीय सहायता का राज्य-वार विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

(ग) शहरों में स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन के समग्र कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय एक वार्षिक सर्वेक्षण-स्वच्छ सर्वेक्षण करता है। स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत, सभी शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) का डंपसाइट सुधार सहित विभिन्न स्वच्छता मानदंडों पर वार्षिक मूल्यांकन किया जाता है। सर्वेक्षण में क्षेत्रों में सत्यापन, नागरिकों की प्रतिक्रिया और शहरों में स्वच्छता के बुनियादी ढांचे और सेवा प्रदायगी का स्वतंत्र तृतीय-पक्ष मूल्यांकन शामिल हैं।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एसबीएम-यू की प्रगति पर वीडियो कॉन्फ्रेंस, वेबिनार, कार्यशालाओं आदि के माध्यम से और समर्पित एसबीएम-यू पोर्टलों के माध्यम से समय-समय पर समीक्षा और मूल्यांकन द्वारा भी ट्रैकिंग की जाती है।

इसके अलावा, मिशन निदेशालय समय-समय पर राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को मुद्दों को हल करने और परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए बाधाओं को दूर करने में सहायता प्रदान करता है।

अनुलग्नक

"अपशिष्ट पाटन स्थलों के लिए वित्तीय सहायता" के संबंध में दिनांक 19.03.2026 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4570 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित विवरण

क्र. सं.	राज्य	अनुमोदित केंद्रीय हिस्सा (करोड़ रुपये में)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00
2	आंध्र प्रदेश	167.28
3	अरुणाचल प्रदेश	1.29
4	असम	0.00
5	बिहार	11.65
6	चंडीगढ़	28.50
7	छत्तीसगढ	0.00
8	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	4.95
9	दिल्ली	1116.50
10	गोवा	0.00
11	गुजरात	147.30
12	हरियाणा	102.45
13	हिमाचल प्रदेश	23.29
14	जम्मू और कश्मीर	125.24
15	झारखंड	42.11
16	कर्नाटक	310.28
17	केरल	37.04
18	लददाख	0.00
19	मध्य प्रदेश	122.51
20	महाराष्ट्र	727.90
21	मणिपुर	2.99
22	मेघालय	7.08
23	मिजोरम	0.00
24	नागालैंड	20.23
25	ओडिशा	78.18
26	पुदुचेरी	13.72
27	पंजाब	102.05
28	राजस्थान	212.75
29	सिक्किम	13.15
30	तमिलनाडु	282.29
31	तेलंगाना	69.09

32	त्रिपुरा	27.68
33	उत्तर प्रदेश	113.60
34	उत्तराखंड	76.74
35	पश्चिम बंगाल	217.81
	कुल	**4205.63**
